POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2023/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अगस्त, 2023 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! देखने में आ रहा है कि आजकल पोषण से अधिक अन्य सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। जिससे शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा जैसे गैर-संचारी रोग बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की कमी के चलते ऐसे रोग तेजी से फैल रहे हैं।

इस बारे में किए गए कई अध्ययन बताते हैं कि भारत में करीब 60 फीसदी मौतों का कारण गैर संक्रामक बीमारियां हैं। ज्यादा मात्रा में वसा, शुगर और नमक इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। यह पदार्थ ज्यादातर अल्ट्रा-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और ज्यादातर पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं।

अल्ट्रा-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य उत्पाद हैं, जिनको अधिक मात्रा में प्रसंस्कृत किया जाता है और उनमें अतिरिक्त अवयव मिलाए जाते हैं। ये पदार्थ औद्योगिक प्रसंस्करण के कई चरणों से गुजरते हैं, जिनमें अक्सर रासायनिक तत्व, कृत्रिम स्वाद, रंग, अस्वास्थ्यकारी वसा और मिठास शामिल होते हैं। इन खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। इसलिए इनसे मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

शहरी हो या ग्रामीण उपभोक्ता, उन्हें ताजे फल, सब्जियां, मोटा अनाज और तरल प्रोटीनयुक्त संतुलित आहार के बारे में जागरूक करना बहुत आवश्यक है। इस बारे में जानकारी होने पर वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेंगे और सही पोषण से शारीरिक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से बच सकते हैं।

पैकेटबंद खाद्य पदार्थों वसा, शुगर, नमक तथा स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद अन्य वस्तुओं की अधिकतम मात्रा के मानक दुनियाभर के कई देशों में तय है।

मानकों से ज्यादा मात्रा होने पर पैकेट के ऊपरी भाग (फ्रंट ऑफ पैक) पर 'अनहेल्दी' जैसा चेतावनी लेबलिंग एक प्रभावी उपाय है, जो उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने में सहायता करती है। यह स्पष्ट, प्रतीकात्मक और मानकीकृत लेबलिंग प्रणाली उपभोक्ताओं को उनके आहार संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप, उत्पादों की तुलना करने और चयन करने में सहायक होती है।

उपभोक्ताओं के हित में है 'फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग'

यह बात समझनी होगी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक जगरूकता अभियान की सख्त जरूरत है। इस तरह के अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संगठनों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

चेतावनी लेबल न केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं, बल्कि सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों, विशेष रूप से बुजुर्गों, युवाओं और अशिक्षित लोगों को भी जानकारी देने एवं स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद करने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है।

चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की भी राय है कि भारत को वैश्विक मानकों के अनुसार फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लेबल को अपनाना चाहिए। यह न केवल गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए जरूरी है, बल्कि विदेशों तक तेजी से बढ़ते खाद्य बाजार के बेहतर भविष्य के लिए भी फायदेमंद है।

वैश्विक विस्तार के लिए भारतीय खाद्य उद्योग के साथ ही भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) भी भारतीय हितों को देखते हुए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को अपनाना चाहेंगे।

"गागर में सागर"

आप द्वारा प्रेषित 'ग्राम गदर' मुझे काफी लम्बे समय से निरन्तर मिल रहा है। इस पत्र को पढ़कर मुझे आत्म संतोष भी होता है और आत्मिक प्रसन्नता भी। इस एक पृष्ठीय समाचार पत्र में आप इतनी सारी जानकारियां दे देते हैं जो 'गागर में सागर' तुल्य लगती है। यह पत्र ग्रामीण अंचल के लिए बेहद उपयोगी है। भाषा अत्यन्त रोचक एवं आत्मीय लगती है। मैं इसकी सफलता की पूर्ण मनोयोग से मंगलकामना करता हूं।

- डॉ. बसन्ती लाल बाबेल, पूर्व न्यायाधीश
उप सचिव राज्य विधि आयोग, पोस्ट-लावा सरदारगढ़, जिला-राजसमन्द

ग्रामीण महिलाओं ने रखी नई मिसाल

दो साल पहले कोटा जिले के सांगोद गांव की 12 महिलाओं ने एक समिति बनाकर दुग्ध संग्रहण का काम शुरू किया था। प्रदेश में आज यह महिलाओं की सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें अब 25 हजार से अधिक महिलाएं हैं और 700 से भी ज्यादा गांवों से रोज 75 हजार लीटर दूध उत्पादित हो रहा है। सारा लेन-देन ऑनलाइन होता है।

इन महिलाओं के बेहतरीन उद्यमिता प्रबंधन से प्रभावित हो, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राजीविका उनकी मदद को आगे आया था और 20 मार्च 2021 को सांगोद से 'उजाला' दुग्ध उत्पादक लि. की शुरुआत की थी। संग्रहित दूध मदर डेयरी को दिया जाता है। दूध संग्रहण से लेकर प्लांट तक पहुंचाने का सारा काम महिलाएं ही करती हैं।

ऑर्गेनिक में नहीं होगा फर्जीवाड़ा

ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों के नाम पर अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने सभी परीक्षण सुविधाओं और प्रयोगशालाओं को सख्ती से निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है।

ऑर्गेनिक खाने-पीने की चीजों से छेड़छाड़ करने वालों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके तहत बाजार में नकली उत्पाद लाने वालों को 2 से 10 साल की सजा तक हो सकती है।

एफएसएसएआइ ने हाल ही में नकली ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक उत्पादों को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। गलत ब्रांडिंग के लिए 3 लाख रुपए और भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है।

फसल बीमा: किसान परेशान क्यों?

फसल बीमा योजना किसान के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। केंद्र व राज्य सरकार बीमा कंपनी में बीमा प्रीमियम की राशि जमा कराती है। किसानों से नाममात्र की राशि ली जाती है। राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि जब तक बीमा कंपनी को जमा नहीं कराती, बीमा कंपनी किसानों को क्लेम नहीं देती।

बीमा प्रीमियम किसानों के केसीसी खातों से काटने के बाद, उनके क्लेम बैंक खातों में जमा नहीं करने की भी शिकायतें हैं। बीमा कंपनियों ने अपने फायदे के लिए इस योजना में कई पेंच डाल रखे हैं। अभी तक प्रदेश के किसानों को पिछले साल की खरीफ और रबी की फसल का क्लेम नहीं मिला, जबकि इस साल खरीफ की बुआई के साथ किसान अपने हिस्से का प्रीमियम देकर बीमा करवा चुके हैं।

भारत में कम हो रही है गरीबी

सयुंक्त राष्ट्र ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश, भारत द्वारा गरीबी को खत्म करने में प्राप्त की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों की तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही जारी संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि खासतौर पर भारत में 15 साल में 41 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-06 में भारत में 64.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से जकड़े हुए थें। 2015-16 में यह संख्या घट कर 37 करोड़ और 2019-21 में यह 23 करोड़ रह गई है। सबसे गरीब राज्यों और वंचित जाति समूहों में गरीबी की गिरावट सबसे तेज दर्ज की गई है।

गोशालाओं में बनेगी जैविक खाद

जयपुर में सांगानेर स्थित पिंजरापोल गोशाला में सबसे ज्यादा गाय के गोबर का उत्पादन हो रहा है। साथ ही यहां 3000 गायों के गोबर से रोजाना 30 टन जैविक खाद तैयार करने वाला हाथ से बना बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट है। यहां से 192 मीट्रिक टन गोबर मुस्लिम देश कुवैत को निर्यात किया गया था। कुवैत ने यहां की गाय के गोबर से बनी खाद खरीदने में भी उत्सुकता दिखाई है।

इसके बावजूद राज्य में हर महीने करीब 4500 करोड़ रुपए का गोबर बर्बाद हो रहा है। अब प्रदेश के 12 जिलों की 100 गोशालाओं के प्रबंधकों ने भी गोबर को बर्बाद होने से बचाने का संकल्प लिया है। इन गोशालाओं में गोबर से जैविक खाद बनाई जाएगी। साथ ही क्षेत्र के सभी किसानों को इसके लिए जैविक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसानों को भी अब गाय के गोबर की उपयोगिता फिर से समझनी होगी।

फूड सेफ्टी में सुधरी राजस्थान की रैंकिंग

केंद्र सरकार द्वारा जारी 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार खाने के मामले में केरल सबसे सुरक्षित राज्य है। देश के 20 बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा को लेकर केरल पहले स्थान पर है, जबकि पंजाब दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडू पहले से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

बीते साल केरल छठे व पंजाब 11वें स्थान पर था। राजस्थान भी 2 अंक के सुधार के साथ 10वें से 8वें पायदान पर आ गया। केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर तीसरे साल शीर्ष पर है, वहीं दिल्ली दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, असम, बिहार व झारखंड का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) तीन वर्षों में 25 लाख फूड ऑपरेटर को प्रशिक्षित करेगा ताकि देश में खाद्य गुणवत्ता के मानकों को पूरा किया जा सके। साथ ही देश में 100 फूड स्ट्रीट खुलेंगी।

अब गांवों में होंगे ज्यादातर अमीर

अगले 10 साल में देश में अधिक धनवान घरानों की संख्या 5 गुना बढ़ जाएगी। इस बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण भारत में होगा। प्राइस (पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी सिटीजन एनवायरनमेंट) द्वारा जारी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। दो करोड़ रुपए से अधिक सालाना कमाने वाले को सुपर रिच माना गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग तेजी से व्यावसायिक कृषि कारोबारों के साथ गैर कृषि कामों में लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्यमियों की बाढ़ सी आ रही है, जो नौकरियां दे रहे हैं और छोटे कारोबार खड़े कर रहे हैं। ऑक्सफेम इंटरनेशनल का भी अनुमान है कि भारत ने 2018 और 2022 के बीच हर दिन 70 करोड़पति बनाए हैं। इससे दुनिया का ध्यान भारत पर केंद्रित हुआ है।

प्रदेश में खुलेंगे 1035 नए पटवार मंडल

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1035 नए पटवार मंडलों की मंजूरी दी है। इस निर्णय से आमजन को राजस्व, प्रशासनिक व सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में आसानी होगी।

पटवार मंडल को प्रशासन की ईकाई माना जाता है। लैंड रिकॉर्ड में नामांतरण, नक्शा, जमाबन्दी, प्रशासनिक जांच, सरकारी योजनाओं को लागू करना, पेंशन की रिपोर्ट करना, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र देना सहित अन्य कार्यों के लिए किसानों को अपने नजदीकी गांव में ही सुविधा मिलेगी। इससे प्रशासनिक कामकाज में मजबूती आएगी। प्रदेश में वर्तमान में 11,758 पटवार मंडल हैं। नए पटवार मंडलों को मिलाकर यह आंकड़ा 12,793 हो जाएगा।

राजस्थान का शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन

शिक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में राजस्थान ने स्कूली शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 में प्रदर्शन पर आधारित केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 25 जिलों ने अति उत्तम श्रेणी में जगह बनाई है, जबकि मध्य प्रदेश के पांच जिले उत्तम और छत्तीसगढ़ के सिर्फ एक जिले को अति उत्तम वर्ग में स्थान मिला है।

बच्चों के सीखने की क्षमता में राजस्थान और पंजाब ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के लिए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 2020-21 के दौरान 742 जिलों और 2021-22 में 748 जिलों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक जिला स्तर पर विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है।

जल जीवन मिशन में घोटाला

प्रदेश में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में अफसरों की शह पर अनुबंधित कंपनियों द्वारा जमकर किए गए भ्रष्टाचार की पोल खुलती जा रही है। कई जगह काम पूरा हुए बिना, तो कई जगह काम किए बिना ही करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। कई जगह लोहे की जगह प्लास्टिक के पाइप बिछा दिए गए।

अब अभियंता खुद को बचाने में जुटे हैं और खुद ही घटिया काम का भंडाफोड़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट में सारी जानकारी दी थी और रिपोर्ट में जलाशयों के स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त होने व जनहानि की आशंका तक जताई थी। बावजूद उच्चाधिकारी व नेता कंपनियों को फायदा पहुंचाने में जुटे रहे। अब गोविन्दपुरा बांसडी, राजावास, अमरसर जैसे कई गांवों में हुई गड़बडियों की पोल खुलती जा रही है।

ट्रेवल्स कंपनी पर लगाया 25 हजार रुपए का हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-2 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर सुरेन्द्रकुमार लांबा ने अपने वकील के जरिए स्टेशन रोड स्थित महालक्ष्मी ट्रेवल्स कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। वकील रामप्रकाश कुमावत ने आयोग में पेश किए गए परिवाद में बताया कि 23 जनवरी 2021 को परिवादी की बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में राजनीतिक मीटिंग थी। उन्होंने महालक्ष्मी ट्रेवल्स से 22 जनवरी को जयपुर से कुशलगढ़ जाने के लिए 700 रुपए का टिकट बुक कराया। ट्रेवल्स कंपनी की बस जयपुर से शाम सात बजे रवाना होनी थी लेकिन आधा घंटे बाद रवाना हुई। बस ने 23 जनवरी को सुबह करीब 8 बजे उन्हें कुशलगढ़ नहीं उतारकर काफी पहले ही बांसवाड़ा बस स्टैंड पर उतार दिया। ऐसे में उन्हें कुशलगढ़ जाने के लिए जहां 65 रुपए और ज्यादा खर्च करने पड़े वहीं वे मीटिंग में भी समय पर नहीं पहुंच सके।

मामले की सुनवाई पर आयोग ने बस टिकट होते हुए सुरेन्द्रकुमार लांबा को गंतव्य जगह नहीं पहुंचाने और अन्य जगह उतारने को सेवा दोष और अनुचित व्यापार प्रेक्टिस करार देते हुए आदेश दिया कि महालक्ष्मी ट्रेवल्स कंपनी परिवादी सुरेन्द्रकुमार लांबा को 25 हजार रुपए बतौर हर्जाना और उनके द्वारा अतिरिक्त खर्च किए 65 रुपए ब्याज सहित अदा करें।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कटूस' जयपुर